To be published in Part-1 Section-I of the Gazette of India Extraordinary

F. No. 6/44/2025-DGTR
Government of India
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
(Directorate General of Trade Remedies)
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street, New Delhi – 110001

INITIATION NOTIFICATION
Case No. AD (OI) 39/2025

Date: 18th September, 2025

Subject: Initiation of Anti-dumping Investigation concerning imports of "Copper Data Cables" originating in or exported from the People's Republic of China.

1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "AD Rules, 1995"), Birla Cable Limited and Sterlite Technologies Limited (hereinafter referred to as the "Applicants"), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") seeking initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Copper Data Cables" (hereinafter also referred to as "Subject Goods"), from the People's Republic of China.

2. The applicants have alleged that subject good originating in or exported from the People's Republic of China has caused material injury to the domestic industry. Accordingly, the Applicants have requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of subject goods from the aforementioned country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration (hereinafter referred to as "PUC") in the present investigation is "all structured Copper Data Cables including CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A and patch cords (hereinafter also referred to as "subject goods"). Copper Data Cable usually comprise of twisted pairs of copper conductors, insulated with polyethylene or other sheathing material, with or without the inclusion of braiding, drain wire, individual and/or overall foil shield, and a separator, used for the transmission of data and signals over local area networks ("LAN"). It includes both shielded and unshielded data cables, which are further categorized based on their performance such as

CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A and Patch Cord. Copper Data Cables are primarily used as LAN cables for high-speed data transmission, telecommunications, networking, audio-video transmission, etc.

4. The subject goods are classified under Chapter 85 titled " Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles" under HS Codes 854449. The customs heading is indicative only and is not binding upon the scope of the PUC.

5. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of the initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

6. The applicants have claimed that there are no known differences in the subject goods manufactured by applicants and the subject goods imported from the People's Republic of China. The subject goods are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, and distribution and marketing. The subject goods are technically and commercially substitutable. Consumers have used and are using the goods interchangeably. Thus, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants and the subject goods imported from the People's Republic of China are being treated as 'like article' to each other.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

7. The present application has been filed by Birla Cable Limited (hereinafter referred to as "BCL") and Sterlite Technologies Limited (hereinafter referred to as "STL"), hereinafter collectively referred to as the "applicant producers". The applicant producers have not imported subject goods from the subject country during the POI.

8. On the basis of the information available on record, the Authority has satisfied itself that the applicant producers constitute domestic industry in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995. Further, the application also satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3) of AD Rules, 1995.

D. SUBJECT COUNTRY

9. The subject country in the present investigation is the People's Republic of China (hereinafter referred to as "China PR").

E. PERIOD OF INVESTIGATION ("POI")

10. The POI for the present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months). The injury period for the investigation will cover the periods FY 2021-22, FY 2022-23, FY 2023-2024 and the POI.

F. BASIS OF DUMPING

i. Normal value

11. The applicants have submitted that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

12. The applicants have stated that subject goods do not have dedicated HS code and therefore, they could not rely on third country export prices for determination of normal value. Therefore, for the purpose of initiation of this investigation, the normal value has been constructed based on the estimates of the cost of production of the applicants duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

ii. Export Price

13. The applicants have claimed CIF export price based on market intelligence. The Authority has considered import price based on DG Systems data. Adjustments on account of freight, insurance, commission, port expenses and bank charges were made to arrive at ex-factory export price.

iii. Dumping margin

14. Upon comparison of normal value and the export price at ex-factory level it is *prima facie* noted that the dumping margin is above *de minimis* level and is also significant. There is *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

G. Injury and Causal link

15. Information furnished by the applicants, with regard to various parameters, has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have provided *prima facie* information with respect to the injury suffered by the domestic industry because of dumped imports. There has been a significant increase in imports from the subject country in absolute and relative terms. The applicants have claimed that the imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry. The subject imports have entered at prices below the cost of sales and selling price of the domestic industry. This has adversely impacted the performance of the

domestic industry in respect of profitability. The cash profits of the domestic industry has declined over the injury period and it has earned a low return on capital employed. The market share of the subject imports has increased and that of the domestic industry has declined. Based on the above, the Authority notes that there is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject country, justifying initiation of an anti-dumping investigation.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

16. The subject country was intimated prior to the initiation of the investigation in terms of Rule 5(5) of AD Rules, 1995.

17. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicants, and having reached satisfaction based on *prima facie* evidence submitted by the applicants concerning dumping of the PUC originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry and causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, 1995 the Authority, hereby, initiates an anti--dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of the anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

18. The provisions of Rules 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

19. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd17-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@nic.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS Excel format.

20. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed in this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

21. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed in this initiation notification, the

AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

23. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as the further process related to the investigation.

K. TIME LIMIT

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email address dd17-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@nic.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

25. All the interested parties are hereby advised to communicate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the time limit as stipulated in this notification.

26. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must mention sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this initiation notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

27. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules, 1995 and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

28. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without

such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

29. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

32. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

33. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the application.

34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

35. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/ information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

36. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Smahajan

(Siddharth Mahajan)
Designated Authority

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/44/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला सं. एडी (ओआई) - 39/2025

दिनांक: 18 सितंबर, 2025

विषय: चीन जनवादी. गणराज्य. के मूल अथवा वहां से निर्यातित "कॉपर डेटा केबल्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "एडी नियमावली, 1995" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, बिरला केबल लिमिटेड और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन. गण. से "कॉपर डेटा केबल्स" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तदनुसार, आवेदकों ने ऊपर

उल्लिखित देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे "पीयूसी" कहा गया है) "सभी संरचित कॉपर डेटा केबल" हैं जिनमें सीएटी 5ई, सीएटी 6, सीएटी 6ए, सीएटी 7, सीएटी 7ए और पैच कॉर्ड (जिन्हें आगे "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) शामिल हैं। कॉपर डेटा केबल आमतौर पर कॉपर कंडक्टरों के मुड़े हुए जोड़े से बने होते हैं, जो पॉलीइथाइलीन या अन्य शीथिंग सामग्री से इंसुलेट किए जाते हैं, ब्रेडिंग, ड्रेन वायर, व्यक्तिगत और/या समग्र फाइल शील्ड और एक विभाजक के साथ या उसके बिना, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क ("एलएएन") पर डेटा और सिग्नल के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें शील्डेड और अनशील्डेड दोनों प्रकार के डेटा केबल शामिल हैं, जिन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर आगे सीएटी 5ई, सीएटी 6, सीएटी 6ए, सीएटी 7, सीएटी 7ए और पैच कॉर्ड जैसे श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कॉपर डेटा केबल का उपयोग मुख्य रूप से उच्च गति डेटा प्रसारण, दूरसंचार, नेटवर्किंग, ऑडियो-वीडियो प्रसारण आदि में किया जाता है।

4. संबद्ध वस्तु को अध्याय 85 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसका शीर्षक है "विद्युत मशीनरी और उपकरण तथा उनके पुर्जे; ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, टेलीविजन छवि और ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक और ऐसी वस्तुओं के पुर्जे और सहायक उपकरण" और यह एचएस कोड 854449 के अंतर्गत आता है। सीमा शुल्क शीर्ष केवल सांकेतिक है और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. वर्तमान जाँच के पक्षकार इस जाँच की शुरूआत के 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और यदि कोई हो, तो पीसीएन प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

6. आवेदकों ने दावा किया है कि आवेदक उत्पादकों द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तु और चीन जन. गण. से आयातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, तथा वितरण और विपणन के संदर्भ में तुलनीय

हैं। संबद्ध वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और चीन जन. गण. से आयातित संबद्ध वस्तु को एक दूसरे के समान माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. वर्तमान आवेदन बिरला केबल लिमिटेड (जिसे आगे "बीसीएल" कहा गया है) और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (जिसे आगे "एसटीएल" कहा गया है) द्वारा दायर किया गया है, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "आवेदक उत्पादक" कहा गया है। आवेदक उत्पादकों ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु आयात नहीं की हैं।

8. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक उत्पादक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को भी पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

9. वर्तमान जाँच में संबद्ध चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे "चीन जन. गण." कहा गया है) है।

ङ. जाँच अवधि ("पीओआई")

10. वर्तमान जाँच के लिए जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 (12 महीने) की है। जाँच की क्षति अवधि में वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-2024 और जाँच अवधि शामिल होगी।

च. पाटन का आधार

i. सामान्य मूल्य

11. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

12. आवेदकों ने कहा है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए समर्पित एचएस कोड नहीं है और इसलिए, वे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे देश के निर्यात मूल्यों पर भरोसा नहीं कर सकते। अतः, इस जाँच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ, सामान्य मूल्य का परिकलन आवेदकों की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ-साथ उचित लाभ मार्जिन के साथ विधिवत समायोजित किया गया है।

ii. निर्यात कीमत

13. आवेदकों ने बाज़ार आसूचना के आधार पर सीआईएफ निर्यात कीमत का दावा किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के आधार पर आयात मूल्य पर विचार किया है। कारखानाद्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए माल भाड़ा, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं ।

iii. पाटन मार्जिन

14. कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करने पर प्रथमदृष्टया नोट किया गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और काफी अधिक है। इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

15. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु, आवेदकों द्वारा विभिन्न मानदंडों के संबंध में प्रस्तुत की गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदकों ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथमदृष्टया सूचना प्रदान की है। संबद्ध देश से आयात में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है । संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम कीमत पर बाजार में प्रवेश किया है। इससे लाभप्रदता के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकद लाभ में गिरावट आई है और उसे विनियोजित पूंजी पर कम आय प्राप्त हुई है। संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के के हिस्से में गिरावट आई है। उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति पहुंचने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, जो पाटनरोधी जांच शुरू करने को उचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

16. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने से पूर्व संबद्ध देश को सूचित किया गया था।

17. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

18. इस जांच में एडी नियमावली, 1995 के नियम 6 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd17-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

20. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निदेश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. <u>समय सीमा</u>

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd17-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए जिस तारीख को प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित किया है या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रेषित किया है। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

26. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस जांच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

29. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का अनुकृति होना अपेक्षित है।

30. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

31. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की स्वरूप की जाँच के आधार पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य अथवा सारांश रूप में उसका प्रकटन करने का अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखा कर सकते हैं।

32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

33. हितबद्ध पक्षकार आवेदन के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

34. गोपनीयता के दावों के संबंध में इसके सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार पर्याप्त और पर्याप्त कारणों के विवरणों के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोधों / उत्तर / सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तर्कसंगत अवधि या समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी